संख्या:- 76/2018/3377/33-3-2018-110/2012

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।

2- समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेन्ट कमेटी, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेन्ट कमेटी, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **दिनांक: 27 सितम्बर, 2018**

विशय: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत बेसलाइन सर्वेक्षण की सूची में संशोधन हेतु दिनांक-03 अक्टूबर से 07 नवम्बर **2018 तक "बेसलाइन सर्वे से वंचित परिवारों का विशेष सर्वेक्षण अभियान-अक्टूबर, 2018" चलाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या S-11019/3/2015-SBM दिनांक 07 अगस्त 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

आप अवगत ही है कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को शौचालय सुविधा से आच्छादित किये जाने के उद्देश्य से 2012 में बेस लाइन सर्वे कराया गया था। सर्वे के उपरांत शौचालय विहीन पात्र परिवारों को शौचालय सुविधा से आच्छादित किये जाने हेतु बनाई गई एम0आई0एस0 व्यवस्था में सर्वप्रथम ऐसे लाभार्थियों की ग्रामवार संख्यात्मक इन्ट्री कराई गई थी, तत्पश्चात लाभार्थियों का लाभार्थीवार विवरण पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर निर्देशानुसार अपलोड कराया गया था। जनपदों से प्राप्त फीडबैक एवं राज्य स्तर से किये गये अनुश्रवण में यह तथ्य

http://shasnadeshup.nic.in

प्रकाश में आया है कि वर्ष 2012 में कराये गये बेसलाइन सर्वे में काफी संख्या में परिवार शामिल होने से वंचित रह गये थे।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत बेसलाइन सर्वे 2012 की सूची से वंचित रह गये परिवारों के चिन्हीकरण हेतु दिनांक-03 अक्टूबर से 07 नवम्बर, 2018 तक **"बेसलाइन सर्वे से वंचित परिवारों का विशेष सर्वेक्षण अभियान-अक्टूबर, 2018"** विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाया जाये-

(1) **<u>सर्वेक्षण की समय-सीमा-</u>**

क्र.सं.	**गतिविधियां**	**समय-सारिणी**
1.	विशेष सर्वेक्षण अभियान के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु मुनादी इत्यादि के माध्यम से लोगों को अवगत कराया जाना। सर्वेक्षण से जुड़े समस्त अधिकारियों/ खण्ड विकास अधिकारियों की जिला स्तर पर ब्रीफिंग।	03 अक्टूबर, 2018
2.	ग्राम स्तरीय कार्मिकों का विकास खण्ड पर प्रशिक्षण।	04 अक्टूबर, 2018
3.	विशेष सर्वेक्षण में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन धनराशि हेतु अनुमन्य पात्रता श्रेणी से छूटे हुए समस्त पात्र लाभार्थियों के अतिरिक्त पात्रता श्रेणी से इतर शौचालय विहीन परिवारों का भी चिन्हांकन किया जाना।	05 अक्टूबर से 12 अक्टूबर, 2018
4.	चिन्हित किये गये लाभार्थियों की सूची संलग्न प्रारूप पर तैयार किया जाना व उसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड/ सार्वजनिक स्थल पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ चस्पा किया जाना।	13 अक्टूबर, 2018
5.	ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार-विमर्श व अनापत्ति प्राप्त कर लाभार्थियों की सूची को अन्तिम रूप से तैयार किया जाना।	14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 2018
6.	अन्तिम रूप से तैयार सूची को संबन्धित ग्राम पंचायत	21 से 23

http://shasnadeshup.nic.in

क्र.सं.	गतिविधियां	समय-सारिणी
	के सचिव एवं ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से संलग्न निर्धारित प्रारूप पर लाभार्थीवार विवरण सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराया जाना।	अक्टूबर, 2018
7.	विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध कराई गई लाभार्थीवार सूची का न्यूनतम् 5 प्रतिशत भौतिक सत्यापन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के निर्देशन में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से अनिवार्य रूप से कराया जाना।	24 से 28 अक्टूबर, 2018
8.	विकास खण्ड स्तर से कराये गये सत्यापन में पाई गई कमियों को निस्तारित करते हुए लाभार्थीवार सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी(पं0) के संयुक्त हस्ताक्षर से जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना।	29 अक्टूबर से 02 नवम्बर, 2018
9.	जनपद स्तर पर प्राप्त लाभार्थीवार सूची में से न्यूनतम् 01 प्रतिशत लाभार्थियों का रैन्डम सत्यापन जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन में जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा कराया जाना।	03 नवम्बर से 05 नवम्बर 2018
10.	जनपद स्तरीय अधिकरियों से कराये गये रैन्डम सत्यापन में पाई गई कमियों को निस्तारित कराते हुए अन्तिम लाभार्थीवार सूची तैयार कर जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर से निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना तैयार करना तथा अन्तिम सूची का प्रकाशन।	06 नवम्बर से 08 नवम्बर 2018
11.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही।	भारत सरकार द्वारा वेबसाइट खुलने की तिथि से

http://shasnadeshup.nic.in

(2) **<u>पात्रता के मानक-</u>** इस सर्वेक्षण में लाभार्थी परिवारों की पात्रता के मानक पंचायतीराज अनुभाग-3 द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-195/ 33-3-2015 -110/2012 दिनांक 06.02.2015 के पैरा-6.2 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार ही होंगें। एक परिवार को एक ही शौचालय हेतु पात्र माना जाये। यदि पूर्व में उस परिवार को शौचालय से लाभान्वित किया जा चुका हो तो, किसी भी स्थिति में उसे दुबारा शौचालय हेतु पात्र न माना जाये। परिवार का मानक एक रसोई-एक परिवार को आधार मानकर किया जाये, जैसा कि जनगणना-2011 में परिवार की परिभाषा परिभाषित है।

(3) **<u>सर्वेक्षण का क्षेत्र-</u>** यह विशेष सर्वेक्षण अभियान प्रत्येक ग्राम पंचायत/ग्राम में चलाया जाये, चाहे उसे खुले में शौचमुक्त घोषित किया जा चुका हो।

(4) **<u>सर्वेक्षण हेतु कार्मिकों की सहभागिता-</u>** इस प्रयोजन हेतु समस्त ग्राम स्तरीय कर्मियों यथा-ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, सफाई कर्मी, ग्राम रोजगार सेवक एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत चयनित एवं प्रशिक्षित स्वच्छाग्रहियों तथा जिले में तैनात उ0प्र0 शासन के अधीन अन्य कर्मी जिन्हें जिलाधिकारी उचित समझें, को लगाया जा सकता है। बड़ी ग्राम पंचायतों में एक से अधिक कर्मियों को भी लगाया जा सकता है।

(5) **<u>सर्वेक्षण के अनुश्रवण/पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति</u>-** इस सर्वेक्षण का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण जनपद स्तर पर जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेन्ट कमेटी द्वारा किया जायेगा। सम्बन्धित जिलाधिकारी इस सर्वेक्षण के नोडल अधिकारी होंगें। सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी उनके निर्देशन में सर्वेक्षण सम्बन्धित समस्त कार्य निष्पादित करायेंगें।

(6) **<u>वित्तीय व्यवस्था</u>**- सर्वेक्षण पर आने वाला व्यय का वहन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत उपलब्ध स्टार्ट अप/प्रशासनिक मद से किया जा सकता है। सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी सर्वेक्षकों को पर्याप्त मात्रा में सर्वेक्षण प्रारूप उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

(7) **<u>पुनरावृत्ति (डुप्लीकेसी) रोकने की कार्यवाही</u>**- यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सर्वेक्षण हैं, इसलिए सर्वेक्षण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाये। जिन परिवारों के मुखिया के पास आधार कार्ड हों उनके आधार संख्या लिए जायें तथा जिन्होंनें

http://shasnadeshup.nic.in

आधार कार्ड के लिए आवेदन किया हो उनके आधार आवेदन संख्या लिए जायें। यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी इत्यादि की संलिप्तता से किसी अपात्र व्यक्ति को पात्र बनाकर लाभान्वित किये जाने का प्रयास किया जाता है, अथवा पूर्व में लाभान्वित व्यक्ति को पुन: लाभान्वित करने का प्रयास किया जाता है तो उन्हें सर्वेक्षण कार्य से हटाकर उनके विरूद्ध विधिक प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाये। अपात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कराने पर सम्बन्धित पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान भी उत्तरदायी होंगें तथा उनके द्वारा अपात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कराने पर उनके विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही की जाये।

(8) **सर्वेक्षण रिपोर्ट संकलन विधि-** ग्राम/ग्राम पंचायत स्तरीय लाभार्थीवार सर्वेक्षण की सूचना प्रारूप-1 पर संकलित की जाये। प्रारूप-1 पर संकलित रिपोर्ट सम्बन्धित विकास खण्ड, कार्यालय को उपलब्ध कराई जाये, जिसे सम्बन्धित विकास खण्ड प्रारूप-2 पर विकास खण्डवार संकलित कर सम्बन्धित जनपद कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें। तत्पश्चात प्रारूप-3 पर जनपद स्तर पर रिपोर्ट संकलित कर मिशन निदेशक, कार्यालय को उपलब्ध कराई जाये।

अत: उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा संलग्न निर्धारित प्रारूप-3 पर जनपद वार संकलित सूचना की प्रति जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर से मिशन कार्यालय में हार्ड कॉपी में तथा ई-मेल आईडी sbmgup2018@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में दिनांक 08 नवम्बर 2018 तक अग्रिम कार्यवाही हेतु अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।

संलग्नक: प्रारूप-1, 2 एवं 3

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in

<u>संख्या व दिनांक:- तदैव।</u>

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पंचायत), उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु "बेसलाइन सर्वे से वंचित परिवारों का विशेष सर्वेक्षण अभियान-अक्टूबर, 2018"

निर्धारित प्रारूप-1

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	मजरे का नाम	परिवार के मुखिया का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	लाभार्थी आई.डी. (आधार कार्ड नं0)	लाभार्थी श्रेणी							
											ए.पी.एल. अन्तर्गत चिन्हित पात्र श्रेणी					योग (11+12+13+14+15+16)	ए.पी.एल. श्रेणी अन्तर्गत अन्य परिवार
										बी.पी.एल.	अनुसूचित जाति/जन जाति	दिव्यांग जन वाला परिवार	महिला मुखिया वाला परिवार	लघु एवं सीमांत किसान	भूमि हीन खेतिहर मजदूर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

हस्ताक्षर,

सचिव,

ग्राम/ग्राम पंचायत.....

हस्ताक्षर,

ग्राम प्रधान

http://shasnadesh.up.nic.in

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु *"बेसलाइन सर्वे से वंचित परिवारों का विशेष सर्वेक्षण अभियान-अक्टूबर, 2018"* निर्धारित प्रारूप-2

विकास खण्ड का नाम- **जनपद का नाम-**

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	मजरे का नाम	श्रेणीवार परिवारों की कुल संख्या							
					बी.पी.एल. परिवारों की संख्या	ए.पी.एल. अन्तर्गत चिन्हित पात्र श्रेणीवार संख्या					योग (6+7+8+9+10+11)	ए.पी.एल. श्रेणी अन्तर्गत अन्य परिवारों की संख्या
						अनुसूचित जाति/ जनजाति परिवारों की संख्या	दिव्यांग जन वाला परिवारों की संख्या	महिला मुखिया वाला परिवारों की संख्या	लघु एवं सीमांत किसान परिवारों की संख्या	भूमिहीन खेतिहर मजदूर परिवारों की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

हस्ताक्षर हस्ताक्षर,

सहायक विकास अधिकारी(पं0) खण्ड विकास अधिकारी।

http://shasnadesh.up.nic.in

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु *"बेसलाइन सर्वे से वंचित परिवारों का विशेष सर्वेक्षण अभियान-अक्टूबर, 2018"* निर्धारित प्रारूप-3

जनपद का नाम-

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	कुल मजरों की संख्या	श्रेणीवार परिवारों की कुल संख्या							
					बी.पी.एल. परिवारों की संख्या	ए.पी.एल. अन्तर्गत चिन्हित पात्र श्रेणीवार संख्या					योग (6+7+8+9+10+11)	ए.पी.एल. श्रेणी अन्तर्गत अन्य परिवारों की संख्या
						अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की संख्या	दिव्यांग जन वाला परिवारों की संख्या	महिला मुखिया वाला परिवारों की संख्या	लघु एवं सीमांत किसान परिवारों की संख्या	भूमिहीन खेतिहर मजदूर परिवारों की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर,

जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी जिलाधिकारी

http://shasnadeshup.nic.in